कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद हरिद्वार।

ईमेल–cfohdr.ukfs@gmail.com फोन नं0–01334–265700

पत्रांकः न–10(2)/सीएफओ–आर/2020 दिनांकः दिसम्बर 12, 2020।

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक
दिल्ली पब्लिक स्कूल,
07 कि0मी0 स्टोन, बहादराबाद धनौरी रोड़,
ग्राम–दौलतपुर तहसील रूड़की, जनपद हरिद्वार।

विषयः अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के Annual Clearance के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवदेन यूनिक नम्बरः–99242960, दिनांकः 27.11.2020 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी फायर स्टेशन रूड़की द्वारा किया गया। प्रभारी फायर स्टेशन रूड़की की निरीक्षण आख्या के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी। समस्त अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में है तथा नवीनीकरण किये जाने की संस्तुति की गयी है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समक्षा जाएगा।

अतः आपके संस्थान के प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांकः 12 दिसम्बर 2020 से, 11 दिसम्बर 2021 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तो का पालन किया जाये।

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कर्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
6. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
7. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।

(नरेन्द्र सिंह कुँवर)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः प्रभारी फायर स्टेशन रूड़की को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

PRINCIPAL
Delhi Public School
Daulatpur, Haridwar

For DPS DAULATPUR
Manager

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–03
संख्या– 342 / XX–3 / 2021–2(39) / 2006
देहरादून : दिनांक 29 नवम्बर, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2016 की धारा–26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा नियमावली प्रख्यापित होने तक उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण अग्नि सुरक्षा के निम्न बिन्दुओं पर शिथिलता प्रदान करते हुए सम्पूर्ण राज्य में पूर्ण रूप से प्रवृत्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. समस्त आवासीय भवन जो 15 मी0 या इससे ऊंची होंगी तथा औद्योगिक / व्यवसायिक (कवर्ड एरिया 5,000 वर्ग मी0 से अधिक हो) और विस्फोटक एवं तीव्र ज्वलनशील पदार्थों के भण्डारण हेतु अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेना अनिवार्य है।

2. 15 मीटर से कम ऊंचाई के भवनों हेतु अग्निशमन विभाग स्वतः ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र की बाध्यता नहीं करेगा, किन्तु विकास प्राधिकरणों अथवा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि का पालन करवाने वाली संस्थाओं द्वारा मांगे जाने पर अग्निशमन विभाग अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

3. परन्तु अग्नि सुरक्षा एवं जीव रक्षा के दृष्टिकोण से उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2016 की धारा–17 कतिपय भवनों और परिसर के सम्बन्ध में उपबन्ध के पैरा (1) के ऐसे भवनों में अग्नि रोकथाम तथा अग्नि सुरक्षा के उपायों की पर्याप्तता को अभिनिश्चित करने के लिए निरीक्षण कर सकता है, तथा अपर्याप्तता की पूर्ति के लिए नोटिस जारी करेगा, जिस हेतु सम्बन्धित भवन स्वामी अथवा अधिभोगी अपर्याप्तता की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होंगे।

4. अग्निशमन विभाग द्वारा अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किये जाने हेतु सम्बन्धित भवन / संस्थान / भण्डारण अथवा जो भी लागू हो, को अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा एवं जीव रक्षा हेतु सम्बन्धित मानक जो भी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा विहित किये गये है, के अनुपालन पर ही प्रदान किया जायेगा।

5. परन्तु अग्निशमन विभाग द्वारा अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र से छूट का तात्पर्य यह नहीं है कि सम्बन्धित भवनों अथवा भण्डारण हेतु अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा एवं जीव रक्षा के मानकों को शिथिल माना या समझा जाये।

6. अग्नि सुरक्षा प्रमाण–पत्र जब तक रद्द नही किया जाता है, तब तक उसके जारी होने की तारीख से आवासीय भवनों के लिए 5 वर्ष (होटल को छोड़कर) तथा अन्य व्यवसायिक भवनों तथा औद्योगिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, होटल, हॉस्पिटल, वेयर हाउस, पैट्रोलियम एवं विस्फोटक भण्डारण आदि के लिए 03 वर्ष के लिए ही वैध होगा, वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व पुनः नवीनीकरण किया जाना होगा, जैसा कि सरकार या निदेशक द्वारा समय–समय पर तय किया गया है और अग्नि सुरक्षा प्रमाण–पत्र में परिलक्षित होगा।

7. परन्तु यह कि निदेशक, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के परिस्थितिगत वर्णित वैधता अवधि को, कारणों का परीक्षण एवं अध्ययन कर विशेष प्रकार के भवन अथवा परिसर के लिए सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा कम कर सकता है।

8. परन्तु यह कि अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता को प्रति छः माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति सन्तोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व–घोषणा प्रमाण पत्र/Self Audit Report प्रस्तुत/अपलोड करना होगा।

9. यदि उपरोक्त अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा।

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव।

संख्या– 342 (1)/ XX–3/2021–2(39)/2006, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य निजी सचिव, सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, अग्निशमन विभाग, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल परिक्षेत्र, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, उन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तराखण्ड।
8. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को आगामी गजट में प्रकाशित करने हेतु।
10. गार्ड फाईल।

(अतर सिंह)
अपर सचिव।